भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का संख्यांक 02)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

सं. 5–4/2000–प्र0एवंका0 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप–धारा (1) तथा धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1.(1) इस विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची I की टिप्पणी 1 में, ''नेटवर्क (फिक्स्ड, मोबालइल और कनवर्ज्ड नेटवर्क, विनियामक प्रर्वत्तन और सेवा गुणवत्ता सहित)'' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''फिक्स्ड, मोबाइल और कनवर्ज्ड नेटवर्क'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(एम.एस. सीतारामन)
सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

टिप्पणी 1 :– प्रधान विनियम संख्या 5–4/2000 (प्र0एवंवि0) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:–

पहला	1–6/2002–प्र0एवंवि0 दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5–4/2000–प्र0एवंवि0 (खंड–I) दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5–4/2000–प्र0एवंवि0 (खंड–II) दिनांक 17 जून, 2004
चौथा	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 10 मई, 2005
पांचवां	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 09 अक्तूबर, 2006
सातवां	5–4/2000–प्र0एवंका0 दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
आठवां	5–2/2005–प्र0एवंका0 दिनांक 20 मार्च, 2009